Delhi and other cities before official notification was issued sometime in July 1990 and if not, the reasons therefore; and

(b) whether Government are aware that Dhara oil is now being packed and sold in 200 ml. packs which is also Contrary to the Act and if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): (a) and (b) NDDB was authorised to prepack edible oils in Tetrapak in the quantities of 200 ml. 250 ml. 500 ml and 1 litre under the notification dated the 5th November, 1985 issued under the "Standards of Weights and Measures (Packaged commodities) Rule, 1977". Subsequently, this notification was superseded by notification dated the 27th July, 1990 under which authorisation to NDDB was restricted to 1 litre packaging only. On a representation from NDDB the issue was reviewed and it was decided that the permission to NDDB should be extended to other sizes. Under the notification dated 11th Sept., 1990 NDDB is authorised to prepack edible oils in Tetrapak in the quantities of 200 ML, 250 ML, 500 ML, and 1 litre. In view of the above, the question of taking action against NDDB for packing edible oils in Tetrapak in the quantities of 1 litre and 200 ML does not arise.

Contradictory Statements by NDDB/ Mother Dairy

1175. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NDDB/Mother Dairy filed contradictory statements before Assistant Labour Commissioner (Central) and Labour Officer (Jhil-Mil) in connection with jurisdiction of Labour Court;

(b) whether it is a fact that when Dairy Employees approached the Assistant Labour Commissioner (Central), the Mother Dairy filed statement that NDDB/Mother Dairy comes under the State Government and when the employees approached the State Labour Commissioner, the Mother Dairy filed that as per NDDB Act Mother Dairy comes under the Central Government;

(c) whether it is also a fact that the ministry is not helping the workers/employees and their cases are lying pending since long; and

(d) if so, what remedial measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

खाद्यान्नों का निर्यात

1176. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ वर्ष 1990 के दौरान खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) उन खाद्यान्नों के नाम एवं मात्रा क्या है, जिनकी आपूर्ति के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये थे, साथ ही 31 दिसम्बर, 1990 तक कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ग) गेहूं एवं चावल, किस दर पर दूसरे देशों को सप्लाई किए गए ; और

(घ) इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसानों को किस दर पर लाभांश दिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) विदेशों को खाद्यान्नों के जो निर्यात किए जाते हैं वे समान्यतया उपहारों, जिन्स उधार अथवा वाणिज्यिक निर्यातों का रूप ले लेते हैं। वर्ष 1990 के दौरान ऐसे उपहारों अथवा जिन्स उधारों के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे हालांकि अफगानिस्तान को 50,000 मीटरी टन गेहूं उधार देने और सोवियत संघ को 20,000 मीटरी टन चावल उपहार स्वरूप देने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा था।

जहां तक वाणिज्यक निर्यात का संबंध है, बी ओ पी को समर्थन प्रदान करने के उपाय के रूप में राज्य व्यापार निगम खनिज और धातु व्यापार निगम को 1990-91 के दौरान 10 लाख मीटरी टन तक गेहूं और 5 लाख मीटरी टन तक गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की इजाजत दी गई थी। 1990 के दौरान किए गए करारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वदेश में वसूल किए गए गेहूं के अपने स्टाक में से राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम को उपर्युक्त निर्यात के लिए गेहूं मोहैया किया गया था अतः किसानों को लाभांश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Proposal to construct Railway Divisional Office at Nanded

1177. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the South Central Railway propose to construct Divisional offices at Nanded;

(b) if so, whether land for the purpose has been acquired by the railways; and

(c) if so, when the work is likely to be started and what is the time schedule, if any, for its completion?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir, provided the land for the same is made available within the sanctioned funds.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पर्यटन वर्ष

1178. **श्री रजनी रंजन साहू**: क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन वर्ष को सफल बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई हैं और अंग्रेजी तथा हिंदी में क्रमशः कितनी परिचय पुस्तिकायें तैयार की गई हैं;

(ख) पर्यटन पर केवल अंग्रेजी में अधिक साहित्य प्रकाशित करने और इसे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करने के क्या कारण है; और

(ग) पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में और अधिक साहित्य प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) आधार-संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उनमें सुधार करने के लिए 17 नए यात्रा परिसंघों का अभिनिर्धारण किया गया है। भारत पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान संवर्धन करने हेतु 40 मेले एवं त्योहारों की एक सूची बनाई गई है। गत 3 वर्षों में ब्रोशरों, निर्देशिकाओं और फैस्टिवल फोल्डरों का मुद्रण अंग्रेजी में किया गया था। साहित्य का मुद्रण हिन्दी में भी किया जाता है।

(ख) और (ग) हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में उपयोग हेतु पर्यटन साहित्य का मुद्रण मुख्यतया अंग्रेजी में किया जाता